बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने, प्रविष्टि संशोधित करने अथवा एक विधान सभा के अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित करने हेतु नई ऑन लाईन आवेदन सुविधा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचकों के नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने, हटाने, प्रविष्टि संशोधित करने अथवा एक विधान सभा के अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित करने के लिए नये ऑन लाईन पद्धति से आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गयी है।

- इस सुविधा के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु निर्वाचक **सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर जायें ।**
- **सिटीजेन सर्विसेस/ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।**
- **आपके समक्ष एक पेज खुलेगा जिसमें नाम जोड़ने या विलोपित करने या प्रविष्टि में सुधार या एक विधान सभा के अन्तर्गत अपना मतदान केन्द्र बदलने की सुविधा के चयन करने का विकल्प होगा।**
- नाम जोड़ने के लिए **अपना मतदान केन्द्र जी0आई0एस0 मैपिंग से खोजने की भी सुविधा है,** ताकि आप गूगल मैप की सहायता से अपने घर के समीप के मतदान केन्द्र का चयन कर सकें। यदि आपको अपना मतदान केन्द्र ज्ञात है या आपके घर के किन्हीं सदस्य का मतदान केन्द्र ज्ञात है, तो इसे सीधे अंकित/चयनित करने की भी सुविधा है।
- निर्वाचक सूची में पूर्व से अंकित प्रविष्टि में संशोधन अथवा विलोपन अथवा स्थानान्तरण हेतु उक्त प्रविष्टि को 'सर्च' के माध्यम से ज्ञात करने की सुविधा है।
- प्रत्येक प्रपत्र को भरने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में निर्देश दिये गये हैं। **आपके द्वारा विधान सभा, मतदान केन्द्र के चयन, अपना नाम, मोबाईल संख्या अंकित करने के उपरान्त 'रजिस्टर' करने पर आपके दिये गये मोबाईल पर एक वेरिफिकेशन कोड आयेगा** उसे यथा स्थान प्रविष्ट करने के उपरान्त 'लॉगइन (Login)' बटन पर क्लिक करें। आवेदन हेतु चयनित प्रपत्र खुल जायेगा। इसमें आप दिये गये निर्देश के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

- आवेदन करने हेतु अंग्रेजी में नाम आदि के अक्षर लिखने के उपरान्त वह **स्वयं सॉफ्टवेयर द्वारा हिन्दी में (जहाँ आवश्यक है) अनुवादित हो जायेगा।** जैसे – 'Amit' लिखने पर हिन्दी के फिल्ड में 'अमित' अंकित होगा।
- आपके द्वारा **आवेदन भर कर अपलोड करने के पश्चात् आपके आवेदन की यूनिक आई0डी0 स्क्रीन पर प्राप्त होगी। इसकी पावती का प्रिन्ट ले सकते हैं अथवा सेव कर सकते हैं।**
- आवेदन पर की जा रही कार्रवाई से संबंधित एस0एम0एस0 आपके मोबाईल पर स्वतः आयेंगे।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ऑन लाईन आवेदन करने पर आपके द्वारा स्वयं भरा गया आपसे संबंधित डाटा, **निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् निर्वाचक सूची में प्रविष्ट हो जायेगा।**

ह0/- 14/11/2013

(भरत लाल बैठा)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)